

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: ई-20/म.स्वा.का./ (सी-263)/2011/ 362 दिनांक: 24/3/2011

विज्ञप्ति

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमित नियुक्ति
विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु

निदेशालय के पत्रांक ई-20/म.स्वा.का./ (सी-263)/2010/313 दिनांक 23.02.2010 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें विशेष पिछडा वर्ग (एस.बी.सी.) के जिन अभ्यर्थियों ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया था, उन्हें इस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जारी विशेष पिछडा वर्ग (स्पेशल बैकवर्ड क्लास) का प्रमाण पत्र दिनांक 07.04.2011 तक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर (कमरा नं. 119) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं होने पर विभाग द्वारा विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में विचार नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर